Government of India
Ministry of Textiles
Office of the Development Commissioner (Handicrafts)

SUBJECT: INVITING FRESH APPLICATIONS FOR FINANCIAL SUPPORT IN INDIGENT CIRCUMSTANCES FOR THE YEAR 2025-26.

The office of the Development Commissioner (Handicrafts) invites applications from the eligible Master Craftsperson who have completed the age of 60 years on or before 31st December, 2025 for the year 2025-26 for Financial Support in Indigent Circumstances @ Rs.8,000/- (Rs. Eight thousand Only) per month as per the guidelines as detailed below: -

1. Master craftsperson who are the recipient of Shilp Guru Award, National Award, Merit Certificate or State Award in Handicrafts will be eligible for being considered for financial assistance.
2. The annual income of the artisans should not exceed Rs. 1,00,000/-. An income certificate for the financial year 2025-26 issued by the Office of District Magistrate/ Revenue Department /Tahsildar/ Collector/ Circle officer of the concerned state is necessary as proof of income.
3. The applicant should not be a recipient of similar financial assistance from any other source.
4. The artisans should not be less than 60 years of age as of 31st December 2025. Age may be relaxed in the case of artisans with disabilities at the discretion of the Committee.
5. Details of the applicant, filled in The Online application, should be verified as per the guidelines of the scheme and his/her photo on the Online Application Form and Award Certificate should be verified by the concerned officer of Handicrafts Service Centre/Regional Offices, before recommending and forwarding the Online Application to headquarter office of O/o the DC(Handicrafts).
6. The award certificate and photograph should be verified by the concerned Assistant Director /Regional Office of the office of DC(Handicrafts). The regional language certificate should be submitted duly translated either English/Hindi.

The interested eligible Master craftsperson may submit their Online Application through the website (https://indian.handicrafts.gov.in) of this office, latest by **02.04.2026, and the concerned HSC may forward the same with their comments /recommendation to Regional Offices latest by 10.04.2026. The same may be recommended or forwarded to the Headquarter office in New Delhi, latest by 20.04.2026**. The details of the scheme/guidelines, as well as other requisite details, may be obtained from Handicrafts Service Centre(s) / Regional Offices and can also be downloaded from the office website: http://handicrafts.nic.in

The addresses and telephone numbers of the Regional Offices of the Office of Development Commissioner (Handcrafts) are detailed below for seeking any information

1. Regional Director (Central Region), Office of the Development Commissioner (Handicrafts), Kendriya Bhawan, Aliganj, 7th Floor Sector H, Lucknow-226024 (UP) Phone no. 0522-2324033. 2326703
2. Regional Director (Western Region) Office of the Development Commissioner (Handicrafts), A-3 Wing, 3rd Floor, C.G.O Complex, Belapur, CBD, Navi Mumbai-400614 Phone no. 022-22663854, 022-22661959
3. Regional Director (Northern Region) Office of the Development Commissioner (Handicrafts), West Block no. 8, R.K.Puram, New Delhi-110066. Phone no.011-26175784, 26109760
4. Regional Director (Southern Region), Office of the Development Commissioner (Handicrafts), Shastri Bhawan, 26, Haddows Road, Chennai-600 006 (Tamil Nadu) Phone no. 044-28276321, 044-28237908
5. Regional Director (Eastern Region) Office of the Development Commissioner (Handicrafts), CGO Complex 3rd Floor, A Wing, DF Block, Salt Lake City, Kolkata-700064 (West Bengal) Phone no.033-23596744.
6. Regional Director (North Eastern Region), Office of the Development Commissioner (Handicrafts), Central Block, 2nd Floor, Housefed Office Complex, Beltola Bashista Road, Guwahati-781006 (Assam) Phone no. 0361-2230367 / 0361-2266123

Issued By:

Development Commissioner (Handicrafts)
Ministry of Textiles,
Government of India
Plot No. 8, Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj
New Delhi- 110070
Website http://handicrafts.nic.in
Phone no. 011-26109602 , 26103562

भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय

विषय: वर्ष 2025-26 के लिए अभावग्रस्त परिस्थितियों में वित्तीय सहायता हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में।

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय **वर्ष 2025-26** के लिए निम्न वर्णित दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र सिद्धहस्तशिल्पियों, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले 60 वर्ष पूरे कर लिए हो, को अभावग्रस्त परिस्थितियों में वित्तीय सहायता हेतु प्रति माह 8,000/-रुपये (आठ हजार रुपये केवल) की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु आवेदन आमंत्रित करता है :-

1. सिद्धहस्तशिल्पी जिन्हें हस्तशिल्प में शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार या श्रेष्ठता प्रमाणपत्र या राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया है वे वित्तीय सहायता के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र हैं।
2. कारीगर की वार्षिक आय 1,00,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय के प्रमाण के रूप में संबंधित राज्य के जिला मजिस्ट्रेट/राजस्व विभाग/तहसीलदार/कलेक्टर/सर्किल ऑफिसर द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय प्रमाणपत्र आवश्यक है।
3. आवेदक किसी अन्य स्रोत से समान वित्तीय सहायता का प्राप्तकर्ता नहीं होना चाहिए।
4. कारीगर दिनांक 31 दिसंबर, 2025 पर 60 वर्ष की आयु से कम नहीं होना चाहिए। दिव्यांग कारीगरों के मामले में समिति के निर्णय से आयु में छूट दी जा सकती है।
5. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के मुख्यालय कार्यालय को ऑनलाइन आवेदन की संस्तुति या आवेदन भेजने से पूर्व, ऑनलाइन आवेदन में भरे गए आवेदक का ब्यौरा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार सत्यापित किया जाए और आवेदन प्रपत्र में उसकी फोटो एवं पुरस्कार प्रमाणपत्र हस्तशिल्प सेवा केंद्र/ क्षेत्रीय कार्यालय के संबंधित अधिकारी से सत्यापित होनी चाहिए।
6. पुरस्कार प्रमाण-पत्र और फोटोग्राफ विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के संबंधित सहायक निदेशक/क्षेत्रीय कार्यालय से सत्यापित होनी चाहिए। जमा किया जाने वाला क्षेत्रीय भाषा प्रमाणपत्र अंग्रेजी या हिंदी में अनूदित होना चाहिए।

इच्छुक पात्र सिद्धहस्तशिल्पी इस कार्यालय की वेबसाइट **http://indian.handicrafts.gov.in** के माध्यम से अपने ऑनलाइन आवेदन इस विभाग के संबंधित हस्तशिल्प सेवा केंद्रों/ क्षेत्रीय कार्यालयों में दिनांक **02.04.2026 तक** अवश्य जमा करवाएं ताकि वे उक्त आवेदन को अपनी टिप्पणी/सुझावों के साथ संबंधित हस्तशिल्प सेवा केंद्र को दिनांक **10.04.2026 तक** भेज सकें। उक्त आवेदन दिनांक **20.04.2026** तक मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली को अनुशंसित अथवा प्रेषित किए जा सकते हैं। योजना/दिशानिर्देश, अन्य अपेक्षित विवरण हस्तशिल्प सेवा केंद्रों/ क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त किए जा सकते हैं और कार्यालय की वेबसाइट **http://handicrafts.nic.in** से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।

किसी भी प्रकार की सूचना के लिए विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के पते, और टेलीफोन नंबर निम्नानुसार हैं:

1. क्षेत्रीय निदेशक (मध्य क्षेत्र), विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, 7वां तल, सैक्टर एच, लखनऊ-226001 (उत्तर प्रदेश) फोन नं 0522-2324033,2326703
2. क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिमी क्षेत्र), विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, ए-विंग, तीसरा तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, बेलापुर, सीबीडी नवी मुंबई-400614 फोन नं 022-22663854, 022-22661959
3. क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, पश्चिमी खंड 8, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066 फोन नं 26175784, 26109760
4. क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिणी क्षेत्र), विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, शास्त्री भवन, 26 हैंडोज़ रोड़, चेन्नई-600006 (तमिलनाडू), फोन नं 044-28276321, 044-28237908
5. क्षेत्रीय निदेशक (पूर्वी क्षेत्र), विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, तीसरा तल, ए-विंग, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700064 (पश्चिमी बंगाल), फोन नं 033-23596744
6. क्षेत्रीय निदेशक (पूर्वोत्तर क्षेत्र), विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, सेंट्रल ब्लॉक, दूसरी मंजिल, हाउसफेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स, बेलटोला वशिष्ठ रोड़, गुवाहाटी-781006 (असम), फोन नं. 0361-2230367/2266123

जारीकर्ता:

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प),
वस्त्र मंत्रालय,
भारत सरकार,
प्लॉट सं 8, नेल्सन मैंडेला मार्ग, वसंत कुंज
नई दिल्ली-110070
वेबसाइट: http://handicrafts.nic.in
फोन नं. 011-26109602, 26103562